"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 150] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मई 2006—वैशाख 29, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (51).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं दिनांक 1-4-2006 की प्रभावशीलता से विखंडित करता है :—

(एक) अधिसूचना क्रमांक ए-13-1-90-विक-पांच (102) दिनांक 16-10-1990

(दो) अधिसूचना क्रमांक ए-5-7-86-विक-पांच (38) दिनांक 22-3-1994

(तीन) अधिसूचना क्रमांक ए-3-24-95-विक-पांच (86) दिनांक 17-11-1995

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (51).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (51), दिनांक 19-5-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th May 2006

NOTIFICATION

No. F-10/60/2006/CT/V (51).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby rescinds the following notifications with effect from 01-04-2006 :—

(i) Notification No. A-13-1-90-ST-V (102) dated 16-10-1990

(ii) Notification No. A-5-7-86-ST-V (38) dated 22-03-1994

(iii) Notification No. A-3-24-95-ST-V (86) dated 17-11-1995

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (52).—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा निर्देशित करती है कि उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) के अधीन परिभाषित "करदत्त माल" के विक्रय के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2006 की प्रभावशीलता से कोई कर देय नहीं होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2006

क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (52).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/60/2006/वाक/पांच (52), दिनांक 19-5-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 19th May 2006

NOTIFICATION

No. F-10/60/2006/CT/V (52).— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby directs that on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), no tax under the said Act shall be payable in respect of sales of "Tax paid goods" as defined under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) with effect from 1st April, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.